



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07112025-267418
CG-DL-E-07112025-267418

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4852]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 4, 2025/कार्तिक 13, 1947

No. 4852]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 4, 2025/KARTIKA 13, 1947

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर, 2025

का.आ. 5007(अ).— केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के भाग 2 के खंड (क) के अनुसरण में, केंद्र सरकार निम्नोक्त तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के संबंध में आयल और नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा त्रिपुरा राज्य में गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने हेतु नीचे दी गयी सारणी के कॉलम (1) में वर्णित प्राधिकारी को उक्त अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने के लिए एतद्वारा प्राधिकृत करती है, अर्थात:-

अनुसूची

व्यक्तियों के नाम	अधिकार क्षेत्र
(1)	(2)
श्री सजल बिस्वास, त्रिपुरा सिविल सेवा (टीसीएस), ग्रेड-I (चयन ग्रेड)	त्रिपुरा राज्य में आने वाले क्षेत्र

[फा. सं. इएक्सपीएल-12027(11)/6/2024-इएक्सपीएल- पीएनजी(ई-48910)]

सचिन कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st October, 2025

S.O. 5007(E).— In pursuance of clause (a) of section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of user in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby Authorizes the authority mentioned in column (1) of the Table given below to perform the functions of the Competent Authority under the said Act, laying of pipelines for transportation of gas in the State of Tripura by Oil and Natural Gas Corporation Limited in respect of the areas mentioned in column (2) of the said Schedule namely :-

SCHEDULE

Name of Authority	Area of Jurisdiction
(1)	(2)
Shri Sajal Biswas, Tripura Civil Services (TCS), Gr-I (Selection Grade)	Areas falling in the State of Tripura

[F. No. Expl-12027(11)/6/2024-EXPL-PNG (E-48910)]

SACHIN KUMAR, Under Secy.